राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 51(1)ग्रावि / नरेगा / जीआईएस / 108092 / 2016–17 जयपुर दिनांक :31.10.2017 31 OCT 2017

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय :–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जियो मनरेगा फेस–II के क्रियान्वयन बाबत।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक आदेश दिनांक 20-09-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ होने वाले समस्त कार्यो की निम्न तीन स्टेज पर जियो टैगिंग अनिवार्य है :–

1 Before start of the work (Location)
2 During the work
3 After completion of the work

इस संबंध में दिनांक 25.09.2017 एवं 27.09.2017 को प्रत्येक जिले से अधिशाषी अभियंता (DGNO) एवं ब्लॉक स्तरीय सहायक अभियंता (Block Champion) को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा उक्त प्रशिक्षण के पश्चात समस्त पंचायत समितियों के समस्त GAS एवं MSE को दिनांक 15.10.2017 तक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया निर्देशित किया गया था एवं सभी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

जियो मनरेगा फेस– II प्रारम्भ करने की पूर्ण तैयारी निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित की जावे।

1 जियो टैगिंग हेतु MSE द्वारा मोबाईल एप्लीकेशन पर latest version 3.1.1 इंस्टॉल की जावे। नवीन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हेतु आवश्यक है कि पूर्व में इंस्टॉल एप्लीकेशन को एप्लीकेशन सैटिंग एवं डाउनलोड दोनो ही स्थान से आवश्यक रूप से डिलिट किया जावे अन्यथा नवीन एप्लीकेशन पूर्ण रूप से इंस्टॉल नहीं होगी।

2 दिनांक 01.11.2017 एवं इसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले समस्त कार्यो को कार्य प्रारम्भ के पूर्व जियो टैग किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा नरेगा सॉफ्ट में मस्टरोल जारी नहीं की जा सकती।

3 प्रथम स्टेज (Before start of the work) की जियो टैगिग से पूर्व उक्त कार्य की डीपीआर नरेगा सॉफ्ट पर फ्रीज किया जाना आवश्यक है।

4 यदि प्रथम स्टेज की जियो टैगिंग के उपरांत भी मस्टररोल इश्यू नहीं होती है तो कार्य कोड के साथ ईमेल (nrega.raj@gmail.com) एवं अधिशाषी अभियंता के whatsapp ग्रुप पर तुरंत सूचित किया जावे।

5 जियो टैगिंग हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में MSE का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करावें।

6 GAS लॉगिन से जियो टैंग किये गये कार्यो को गोडरेशन करते रामय फोटो की क्वॉलिटी, एक्यूरेसी एवं फोटोग्राफ का विवरण आवश्यक रूप से चैक किया जावे।

7 जियो मनरेगा फेस– II के साथ–साथ ही जियो मनरेगा फेस– I के अन्तर्गत समस्त पूर्ण कार्यो की जियो टैगिंग भी आवश्यक रूप से की जावे।

8 वर्ष 2017–18 के दौरान अभी तक पूर्ण किये जा चुके समस्त कार्यो की जियो टैगिंग 15 नवम्बर, 2017 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर दी जावे।

भवदीय

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त, ईजीएस।
2 अधिशाषी अभियंता, महात्मा गाधी नरेगा समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि योजनान्तर्गत जियो टैगिंग कार्य सुनिश्चित करावें।
3 विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि योजनान्तर्गत जियो टैगिंग कार्य हेतु संबंधित MSE को आवश्यक निर्देश प्रदान कर समीक्षा की जावे।
4 रक्षित पत्रावली।

31/10/17

State GIS Nodal Officer (SGNO)

C:\Users\Administrator\Desktop\A-Letter GIS 31.10.2017.doc